

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

देश पत्रक-ता०.....से.....

ला-खगड़िया.....सा०.....,सन्.....

स का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-२५/2018 राज्य बनाम थाना खगड़िया कांड संख्या:-565/2016

देश की क्रम
1) और तारीख
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
3.

27.09.2018


बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना खगड़िया में दर्ज कांड संख्या:-565/2017 दिनांक 20.09.2017 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4524/हि०शा०, दिनांक 25.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम०एल० का 32(बत्तीस) बोतल तथा 375 एम०एल० का 34 (चौतीस) बोतल विदेशी शराब में से 750 एम०एल० का 01 (एक) बोतल तथा 375 एम०एल० का 02 (दो) बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार, पटना को भेजा गया है तथा शेष 750 एम०एल० का 31 बोतल, 375 एम०एल० का 32 बोतल विदेशी शराब कुल-35.25 लीटर विदेशी शराब थाना खगड़िया के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।


पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना, खगड़िया के मालखाना में रखी गई कुल:-35.25 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, खगड़िया में दर्ज कांड संख्या:-565/2017 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल-35.25 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता, खगड़िया।


समाहर्ता, खगड़िया।


क्रम सं०
और तारीख
1.

02.

गइ कारवाई क
बारे में टिप्पणी
तारीख-सहित
03.

डी०बी० नं०598...../विधि, दिनांक.....27-9-18.....
प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया /उत्पाद
अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को
सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा
की जाय।


27/9
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।

27-9-18